झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 2053/2022

विवेकानन्द सुमन, उम्र 44 वर्ष, पिता सुबोध चन्द्र घोष, निवासी आर-6/2, आदित्यपुर हाउसिंग कॉलोनी, नियर शिव नर्सिंग होम, जमशेदपुर, डाकघर-आदित्यपुर 1, थाना-आदित्यपुर, जिला सरायकेला-खरसावां, झारखण्ड।

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य

2. सुधा जौहरी, पुत्री राम किशुन जौहरी, निवासी आर-6/2, ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी, शिव नर्सिंग होम के पास, डाकघर-आदित्यपुर 1, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला खरसावां, झारखंड । वर्तमान में मकान नंबर 10, उलियान मेन रोड, आई.सी.आई.सी.आई बैंक के बगल में, डाकघर+थाना - कदमा, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड - 831005 ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ताओं की ओर से : सुश्री प्राची प्रदीप्ति, एडवोकेट
श्री राजन कुमार तिवारी, एडवोकेट
श्री संजय कुमार पांडे, एडवोकेट

राज्य की ओर से : श्री पी.डी. अग्रवाल, विशेष पीपी

विपक्षी संख्या 2 की ओर से : सुश्री सुरभि, एडवोकेट

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें आदित्यपुर थाना केस संख्या 109/2022 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो

आईपीसी की धारा 323, 341, 427, 498 ए और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है, जो विद्वान सी जे एम, सरायकेला की अदालत में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचक ने पूर्व में याचिकाकर्ता, जो उसका पति है, के विरुद्ध आदित्यपुर थाना कांड संख्या 206/2020 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें याचिकाकर्ता तीन माह से न्यायिक हिरासत में था। पक्षों के बीच मध्यस्थता हुई और पक्षकार अपने वैवाहिक जीवन को पुनः आरंभ करने पर सहमत हुए। इस मामले के याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता की शर्तों का पालन नहीं किया। सूचक ने जमानत निरस्तीकरण हेतु याचिका दायर की। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने सूचक - विपक्षी संख्या 2 को अपने घर ले आया ताकि वैवाहिक जीवन को पुनः शुरू कर सके, लेकिन उसके बाद उसे गाली-गलौज कर परेशान करता रहा और कई बार कमरे को बाहर से बंद कर खाने-पीने का सामान छुपा देता था और सूचक के कमरे के एयर कंडीशनर की खराबी को ठीक नहीं करता था और सूचक को उसके माता-पिता द्वारा दिए गए पैसे से खरीदी गई दो पहिया गाड़ी चलाने नहीं देता था और सूचक के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाकर जान से मारने की धमकी देता था। सूचक द्वारा लिखित रिपोर्ट दिए जाने पर पुलिस ने आदित्यपुर थाना कांड संख्या 109/2022 दर्ज किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **2008 15 एससीसी 582 आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एम. मधुसूदन राव** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसके पैरा 11 और 18 में निम्नलिखित लिखा है:

> **11.** इस प्रकार, "क्रूरता" की अवधारणा को एक नया आयाम प्रदान करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में यह प्रावधान है कि कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तरह का हो कि महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है, "क्रूरता" माना जाएगा। ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण, जो महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाने की संभावना रखता हो, वह भी "क्रूरता" माना जाएगा। स्पष्टीकरण के खंड (बी) में यह प्रावधान है कि महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी गैरकानूनी मांग को पूरा

करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है या उसके या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है, वह भी धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए "क्रूरता" माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण के खंड (बी) के अनुसार, जो राज्य के विद्वान वकील के अनुसार, तत्काल मामले में लागू होता है, प्रत्येक उत्पीड़न धारा 498-ए आईपीसी के अर्थ में "क्रूरता" नहीं है। परिभाषा में यह निर्धारित किया गया है कि उत्पीड़न महिला या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के एक निश्चित उद्देश्य से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धारा 498-ए आईपीसी के प्रयोजन के लिए उत्पीड़न सरल रूप से "क्रूरता" नहीं है और यह केवल तभी होता है जब उत्पीड़न किसी महिला या उसके किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को संपत्ति आदि की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यह धारा 498-ए आईपीसी के तहत दंडनीय "क्रूरता" के बराबर है।

18. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 के बयानों को पढ़ने के बाद, जिस पर राज्य के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था, हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषित समग्र साक्ष्य के आलोक में, प्रतिवादी को बरी करने का आदेश उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब शिकायतकर्ता द्वारा जबरन जहर दिए जाने की कथित घटना के एक महीने से अधिक समय बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बार-बार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को तुरंत दर्ज करने के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के कारण, अक्सर अलंकरण और अतिशयोक्ति होती है, जो बाद में सोचा जाने वाला काम है। देरी से की गई रिपोर्ट न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि रंगीन संस्करण, घटना का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन या विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप मनगढ़ंत कहानी पेश किए जाने का खतरा भी पैदा होता है, जिससे इसकी सत्यता पर गंभीर संदेह होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए।

और दलील दी कि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सत्य हैं, फिर भी न तो आई.पी.सी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध और न ही कानून के किसी दंडात्मक

प्रावधान के तहत दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध बनता है। यह भी दलील दी गई कि एफआईआर में ही यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी 19.05.2022 को मुखबिर से सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे और एफआईआर में ही यह भी उल्लेख किया गया है कि मुखबिर ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के पुलिस कर्मियों को सूचित किया था कि वह अपने वकील से संपर्क करने के बाद घटना के दिन अगली सुबह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगी, लेकिन एफ.आई.आर 14.06.2022 को अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के बाद दर्ज की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि एफआईआर में दहेज की मांग का कोई आरोप नहीं है और न ही ऐसा कोई आरोप है कि याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया गया था, जिससे सूचना देने वाले को आत्महत्या करने या सूचना देने वाले के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा होने की संभावना थी और न ही याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति की किसी भी तरह की गैरकानूनी मांग का कोई आरोप है, इसलिए न तो आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध बनाया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, इस संबंध में, **आलोक लोधी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में **एमसीआरसी 47904/ 2019** में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करते हैं। साथ ही **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए **1992 के अनुपूरक (1) एससीसी 335** में प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अंत में प्रस्तुत किया गया कि आदित्यपुर थाना केस संख्या 109/2022 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ एफ.आई.आर को भी रद्द कर दिया जाए और उसे अलग रखा जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आदित्यपुर थाना कांड संख्या 109/2022 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचक को जान से मारने की धमकी देना क्रूरता के समान है, इसलिए, आईपीसी की

धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के अलावा अन्य अपराध जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई है, याचिकाकर्ता के खिलाफ बनता है, इसलिए, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जानी चाहिए।

6. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए, आरोपों को क्रूरता का गठन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत स्पष्टीकरण के (ए) और (बी) के तत्वों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। अब इस मामले के तथ्यों पर आते हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह का कोई जानबूझकर किया गया आचरण था, जिससे पीड़ित महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट या मानसिक या शारीरिक रूप से जीवन को खतरा होने की संभावना हो और न ही ऐसा कोई आरोप है कि उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान किया गया था और न ही किसी भी संपत्ति की किसी भी गैरकानूनी मांग का कोई आरोप है।

7. इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता द्वारा सूचक को जान से मारने की मौखिक धमकी देना और उसे यह बताना कि पहले भी वह भाग गई थी, लेकिन इस बार वह भाग नहीं सकती, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण नहीं माना जा सकता, जिससे सूचक के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है, जैसा कि ऊपर पहले ही संकेत दिया जा चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एम. मधुसूदन राव (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत के मद्देनजर। इस प्रकार यह न्यायालय इस विचार पर है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप को पूरी तरह से सत्य माना जाता है, तब भी आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है और इस मामले में शामिल अन्य संज्ञेय अपराध भी नहीं बनते हैं, इसलिए यह न्यायालय इस विचार पर है कि इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए यह एक उपयुक्त

मामला है, जहां आदित्यपुर थाना केस संख्या 109/2022 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और एफ.आई.आर को रद्द किया जाता है।

8. तदनुसार, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 109/2022 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा एफआईआर को रद्द किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 30 नवंबर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।